



घोडश

बिहार विधान सभा

दशम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

कर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 04 अगष्ट, 1940 (रु०)
26 जुलाई, 2018 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) कृषि विभाग

02

कुल योग —

02

मुआवजा दिलाना

6. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दौ दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 मई, 2018 को प्रकाशित शीर्षक “मवक्का फसल में दाना नहीं लगाने से 14 जिलों के । लाख से अधिक किसान प्रभावित” के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 14 जिलों के 58,088.68 हेक्टेयर जमीन में लगे मवक्के की फसल में दाना नहीं आया है, जिससे किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा पुनर्नियोजित करना

7. श्री संजय सरावणी--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 ₹० में विहार में कृषि समन्वयक के रिक्त 4,391 पद के लिये विज्ञापन प्रकाशित कर इसके विरुद्ध मात्र 2,745 चयनित कृषि स्नातकों की अनुबंध पर नियुक्ति की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में इस समय द्वितीय कृषि रोट भैप लागू है, विभाग की वार्षिक विद्यार्थी भी राज्य में नियुक्त कृषि समन्वयकों पर है ;

(3) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित अनुबंध पर नियुक्त 2,745 कृषि समन्वयकों की संविदा को चार साल बाद अचानक कृषि निदेशालय, पटना, विहार के आदेश संघर्ष 36, दिनांक 8 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर दिये जाने से इनके सम्बद्ध बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है और राज्य में कृषि विकास भी बाधित हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में दर्जीत कृषि समन्वयकों की सेवा पुनर्नियोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 26 जुलाई, 2018 (₹०) ।

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव,

विहार निभान सभा ।